40

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्या : कृषि –ए(3)–1/2003 तारीख शिमला – 6–9–2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में तकनीकी अधिकारी (चाय),वर्ग–I, (राजपत्रित)के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क'के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।	1	(i)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, तकनीकी अधिकारी (चाय),वर्ग–1, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
		(ii)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
निरसन और व्यावृत्तियां ।	2	(i)	अधिसूचना संख्या 5–23/76–एसआई(इस्टै) वाल्यूम–।। तारीख 19–12–1977 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश डिपार्टमैंट ऑफ इन्डस्ट्रीज, टैक्नीकल ऑफिसर (टी),क्लास–I (गजेटिड), रेक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज,1977 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
		(ii)	ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप–नियम(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

Directorate of Agriculture H.P. No. 920. 13/9/10. Establishment Branch

BS I
13/9/10

आदेश द्वारा,

सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

D.C

पृष्ठांकन संख्याः कृषि –ए(3)–1/2003 तारीख 6–9–2010

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगए शिमला–2 को उनके पत्र संख्या 1–6/98–पी एस सी–पार्ट दिनांक 22–7–2010 के संदर्भ में ।
3. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
4. सहायक विधायी परामर्शी एंव अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
5. निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5

उप सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

Directorate of Agriculture H.P.
Dy. No. 5416
Date 13/9/10
Central Diary

उपाबन्ध – " क "

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, में तकनीकी अधिकारी (चाय) वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम :	तकनीकी अधिकारी (चाय)
2.	पदों की संख्या :	1 (एक)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग–I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान :	पे बैण्ड 15600–39100रूपए जमा 6600रूपए ग्रे
5.	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं ।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्युनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	**(क)अनिवार्य अर्हता(एं):** लागू नहीं । **(ख)वॉछनीय अर्हता(एं):** लागू नहीं ।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताए : लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	सहायक निदेशक (चाय) और मुख्य चाय रसायनज्ञ में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा , यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी यूनिट वार वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती एंव प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

2 इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक)पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12.यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियो में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ।	लागु नहीं ।

15.सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	लागू नहीं ।
16.आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17.विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम,1997में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।
18.शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।